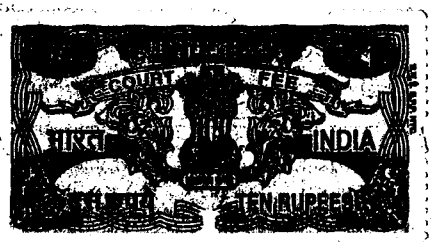

70

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र० R-1218-I-17

प्रकरण क्रमांक / निग०/2016-17

1. गोरेलाल यादव
2. बद्री यादव
3. हीरामन यादव

पितागण स्व० श्री बिटवा यादव

4. मुसा० रामबाई बेवा स्व० बिटवा यादव

समस्त निवासी ग्राम बसाटा तहसील व जिला छतरपुर म०प्र० ..... आवेदकगण

बनाम

1. रामदास तनय श्री नन्हे भैया यादव
2. कन्छू तनय नन्हे भैया यादव दोनो

निवासी ग्राम बसाटा तह० व जिला छतरपुर

3. म०प्र० शासन ... अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा- 50 म.प्र.भू.रा.स. 1959 के तहत ।

निगरानी विरुद्ध निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तहसील छतरपुर की रा०प्र०क्र०- 37/अपील/अ6/2016-17 मे पुर्नविलोकन प्रतिवेदन दिनांक 27.3.17 के मुताबिक न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय छतरपुर के प्र०क्र० 3/पुर्नविलोकन 2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 31.3.17 से दुखी होकर ।

श्री मुकेश भार्गव अभि० द्वारा आज दि. 24-4-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-4-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव 24-4-17 एडवोकेट ग्वालियर

महोदय

आवेदकगण श्रीमान के समक्ष सादर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर पुर्नरविलोकन आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत करते है:-

1. यह कि भूमि स्थित मौजा बसाटा की भूमि नं. 752, 753, 754, 755, 756, 758/1, 758/2, 759, 763, 764 कुल किता 10 एकड़

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1218–एक/17 जिला–छतरपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–05–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित होकर यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील छतरपुर के प्र0 क0 37/अपील/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 27.3.17 के मुताविक कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 3/पुर्नविलोकन /2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31.3.17 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त प्रकरण में साक्ष्य की पूर्णरूप से विवेचना एवं उभयपक्ष को सुनने के बाद ही अन्तिम आदेश पारित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुर्नविलोकन प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष कारण दर्शित किये बगैर आदेश को फेर बदल करने के उददेश्य से कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन लेख किया गया जिसका सूक्ष्म परीक्षण किये वगैर कलेक्टर महोदय द्वारा पुर्नरविलोकन की अनुमति प्रदान की गई जो विधि सम्मत न होने से आदेश निरस्त योग्य है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर महोदय का	

आदेश निरस्त किया जावे।

3– मेरे द्वारा अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14.3.2017 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया था लेकिन हल्का पटवारी के प्रतिवेदन दिनांक 3.3.13 समस्त विधिक वारसानों को अभिलेख पर न लेने से तथा साक्ष्य का तात्विक विवेचन न करने से पारित आदेश दिनांक 14.3.17 अनियमित होने से पक्षकारों को न्याय प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण कलेक्टर छतरपुर द्वारा पुनरावलोकन की अनुमति इस शर्त पर प्रदाय की गई है कि उभयपक्षों को सुनवाई व साक्ष्य का युक्तियुक्त अंवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करने का आदेश दिया गया है। **वेसे भी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–**

अ–नई एवं महत्वपूण्र बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में वारिसानों के नाम छूट जाने से आदेश को पुनरावलोकन में लेने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अस्वीकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य